

जी,
उपरोक्त विं
की निविदा
करावे।

→ कार्यालय मुख्य प्रबंधक, राजस्थान परिवहन निगम, बीकानेर।

श्रीगंगानगर रोड, Opp. लालगढ़ पैलेस, बीकानेर

मोबाइल नं: 9549653240

Email-rsrtc.cmbkr@gmail.com



क्रमांक-एफ/तक/मुप्र/बीका./2024/3299

दिनांक:- 11.9.24

निविदा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर आगार के द्वारा संचालित की जा रही निगम वाहनों (लीलैण्ड/टाटा) के रख-रखाव एवं मरहमत का कार्य (Job work basis) हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस के दौरान प्रबंधक(संचालन) अथवा प्रबंधक (वित्त) के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। खंजाची भुगतान के पास ₹ 200+₹50 नगद जमा करवाकर निविदा प्रपात्र प्राप्त किए जा सकते हैं।
~~₹ 1000~~ ₹ 1000 नगद अथवा बैंक ड्राफट के रूप में धरोहर राशि जमा करवाकर निविदांए दिनांक 26-9-2024 को अपराह्न 03:00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदांए इसी दिन उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष आगारीय कमेटी द्वारा खोली जायेगी।

आगारीय कमेटी को निविदांए निरस्त करने अथवा अस्वीकार करने तथा सफल निविदादाता का कार्य आंवटन का निर्णय लेने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

क्रमांक-एफ/तक/मुप्र/बीका./2024/3299

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1-नोटिस बोर्ड केन्द्रीय बस स्टेण्ड रा.प.निगम बीकानेर आगार।

2-प्रबंधक(संचालन), रारापपनिगम बीकानेर आगार।

CHIEF MANAGER
R.S.R.T.C. BIKANER
दिनांक: 11.9.24

CHIEF MANAGER
मुख्य प्रबंधक, बीकानेर।
R.S.R.T.C. BIKANER

NAB code:- RTC 2425 A0412

UBN :- RTC 2425 SSO B00394

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर आगार

निगम वाहन के मरम्मत का कार्य जोब वर्क बेसिस पर करवाने हेतु निविदा प्राप्त

1. निविदा दाता / फर्म का नाम :-

2. निविदा दाता के पिता का नाम :-

3. निविदा दाता / फर्म का पता :-

4. निविदा दाता / फर्म का टेलीफोन नम्बर :-

5. निविदा दाता / फर्म की संरचना :-

भागीदार / प्रोपर्टराईटरशिप

6. भागीदार / प्रोपर्टराईटर के पते :-

मुख्य प्रबन्धक
राज. रा. प. प. निगम
बीकानेर

निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दर

पश्चारे जाने वाले कार्य :-

1- इंजिन का कार्य :-

अ- इंजिन में रींग डालना

ब- सीवार्ड हैड, गेस किट बदली करना

स- आर.सी. इंजन बदलना

(पुराना उतार कर आर.सी. लगाना)

2- वाहन में पुराना गियर उतार कर आर.सी. गिरय लगाना

3- व्हैच स्टेट / प्रेशर स्टेट बदली करना

4- वाहन के आगे / पीछे की कमानी बदली करना (यदि तैयार है तो)

5- वाहन के आगे / पीछे की कमानी तैयार कर बदली करना

6- एंगिंग शेकल, एफआर / आर.आर. ब्रेकेट बदली करना

7- 4000 किलो. डॉकिंग (व्हील मैटीनेंस)

अ- आगे के व्हील में किंग पिन डालनी प्रति व्हील

ब- आगे / पीछे के व्हील मैटीनेंस-प्रति व्हील (लाईनर सहित)

आर.सी. एफ आई. पैस्ट, असेम्बली बदली करना

(पुराना खोलकर आर.सी. लगाना) टाटा / लीलेप्ड

8- आर.सी. इंजेवटर सेट बदली करना

(पुराना खोलकर आर.सी. लगाना) टाटा / लीलेप्ड एवं टेपिट सेट करना

9- आर.सी.आर. ड्राइंग हैंड बदली करना

(पुराना खोलना व आर.सी.लगाना)

10- दाटर पथ बदली करना

11- रेडियेटर असेम्बली बदली करना

12- पावर स्टेटरींग पाप बदली करना

13- पावर स्टेटरींग यावर सबली करना

14- इंजिन रिपेयरिंग कार्य यदा हैंड गेस किट, टेपेट लावर रिंग, विस्टन एंड लाईनर बदली करना।

15- इंजिन मेन आपत रीम एवं रटेरिंग आयल रीली बदली करना।

16- वाहन का टायर खोलकर पंचर लगाकर टायर बायरिंग लगाना

17- वाहन का टायर खोलकर उसके स्थान पर गवे / रिट्रैट टायर लगाना

18- टायरों का समय पर रोटेशन करना एवं हला की दबाव सही करना

19- टायर की तैयार करूँ वाहन के ऊपर स्टेपी रखना।

20- वाहनों को टापरों में ढका देकर लाना सही करना।

निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित

टैक्टर फार्म के साथ संलग्न शर्तें जोब बेसिस के अनुबंध में लागू होती हैं। प्रत्येक निविदादाता पथ का

समाजाकर रखीकार कर टैक्टर के साथ हस्ताक्षर करके संलग्न फरेंगा अन्यथा फार्म खीकार नहीं किया जाएगा।

आगार समिति किसी भी निविदा / शमस्त निविदाओं थोंगिना फारण बताये निरस्त कर रखती है।

बीकानेर आगार की लीलैण्ड वाहनों के मरम्मत का कार्य (जोब वर्क बेसिस)

- 1- जोब वर्क बेसिस आगार कार्यशाला परिधि में करना होगा ।
- 2- वाहनों के मरम्मत के कार्य में काम आने वाले कल-पूर्जे निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 3- वाहनों के मरम्मत का कार्य का सत्यापन पारी प्रभारी/प्रबन्धक(संचालन) द्वारा किया जायेगा । किया गया कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही कार्य आधारित भुगतान देय होगा । वाहनों के मरम्मत कार्य मासिक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा । जिसके आधार पर मासिक बिल अनुबंध फर्म द्वारा भुगतानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 4- अनुबंधकर्ता/फर्म के बिल में से नियमानुसार उदगम स्थान पर आयकर, सी.पी.एफ./ई.एस.आई.आदि की कानूनी कटौती नियमानुसार नियोक्ता अंशदान भी अनुबंधकर्ता/फर्म द्वारा देय होगा ।
- 5- अनुबंध फर्म द्वारा मासिक बिल प्रत्येक माह प्रस्तुत करने पर बिल का भुगतान अगले माह में वाहनों का मरम्मत कार्य करते रहने पर किया जावेगा ।
- 6- यदि ठेकदार अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंध स्वैच्छा से छोड़ना चाहे तो उसे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी । एक माह की सूचना के मध्य कार्य छोड़ने पर धरोहर राशि जप्त करली जावेगी ।
- 7- निगम को बना किसी कारण बताये किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
- 8- निविदा फार्म में प्रति कार्य दर अंकों व शब्दों में अंकित की जावेगी ।
- 9- सफल निविदादाता को प्रतिभू राशि के बतौर 7000/- रूपये जमा करानी होगी जो अनुबंध अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वापिस लौटा दी जावेगी ।
- 10- ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के कारण वाहन ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति मासिक बिल में से कटौती की जावेगी ।
- 11- आगार कार्यशाला परिसर के दौरान ठेकदार के किसी भी श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यु होने की स्थिति में निगम प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- 12- कार्य दिन या रात्रि पारी में अधिकारियों के आदेशानुसार कार्य करना होगा ।